SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : It is a question of the fundamental right of the Members of the House. You are in the Chair *...(Interruptions)... She* was on her legs when the House adjourned...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRDOKAR): I have given my ruling. If you have any *grievance....(Interruptions)...*

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: How can we sit in the House in vacuum? .... *(Interruptions).* ..We have umpteen examples where we had taken up Special Mentions after lunch..*(Interruptions)...*We cannot hide behind technical reasons..*(Interruptions)...* The hon. Member should be given an opportunity to make her rightful submission before the House *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRDOKAR): Will you please allow me to say something? ... *(Interruptions)...* Taking the sense of the House, I allow you, Madam, to complete your Special Mention. And, that will be the end of the matter; nothing beyond that. You will only continue from where you were interrupted, and not from the beginning.

श्री मती सरला माहेश्वरी (**पश्चिमी बंगाल**) **:** आप मुझे बता दीजिए किस लाइन से मुझे पढ़ना है, वहीं से मैं पढ़ना चाहूंगी ।

उपसभाध्यक्ष (**श्री अधिक शिरोड़कर**): आप अच्छी तरह से जानती है ।

SPECIAL MENTIONS-

Contd.* Resolution passed in Akhil Bhartiya Pratinidhi Sabha of RSS - *contd.

श्री मती सरला माहेश्वरी : इस देश में वे सुख शांति से नहीं रह सकते । इसी तरह और प्रस्ताव में उन्होने गुजरात के दंगों को बिल्कुल स्वाभाविक और न्यायोचित बताया है ।

गुजरात के मुख्य मंत्री नरेन्द्र मोदी के उसी धिनौने मंतव्य को आर. एस. एस. ने भी दोहराया है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है । आर. एस. एस. की प्रतिनिधि सभा जब चल रही थी, उस समय विहिप का 15 मार्च का अभियान भी अपने उरोज पर था। पूरे देश में व्यापक तनाव फैला हुआ था। चारों ओर एक तरह की चिंताजनक अवस्था थी । गुजरात की घटनाओं से आंतकित देश के हर कोने में लोग इसी बात पर आतंकित थे कि कब कहां क्या घट जाए । उसी समय आर. एस. एस. ने अपने प्रस्ताव में अयोध्या के अलावा काशी, मथुरा की समस्या के समाधान की बात को उठाकर आग में और धी डालने का प्रयास किया । इसी प्रकार आर. एस. एस. की प्रतिनिधि सभा ने अयोध्या की विवादित जमीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली निन्दा की है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला हिन्दु सम्प्रदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करता है । कहने का तात्पर्य यह है कि आर. एस. एस. की इस प्रतिनिधि सभा के तमाम मंतव्य भारत के

धर्मनिरपेक्ष संविधान के विरूद्व हैं, राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिकता सौहार्द के विरूद्व हैं और देश भर में सांप्रदायिक दंगों को फैला देने वाले धनघोर आक्रामक बयान हैं ।

इन तमाम प्रस्तावों से जाहिर हे कि आर. एस. एस. हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सदभाव पर एक खतरे की लटकती हुई तलवार है । भारत में सांप्रदायिक घृणा का यह मुख्य स्रोत है । आर. एस. एस. ने अपने इन प्रस्तावों के जरिए फिर एक बार इस बात को साबित कर दिया है कि उसके चरित्र में इन तमाम वर्षो में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया है । आर. एस. एस. के प्रमुख सिद्वांतकार गोलवलकर ने अपनी पुस्तक 'We or Our Nationhood defined' तथा 'Bunch of Thoughts' में जिस हिटलरी प्रस्ताव का प्रवर्तन किया था, आर. एस.एस. उससे एक इंच भी हटी नहीं है । आर. एस. एस. के ये प्रस्ताव गोलवलकर की अल्पसंख्यक विरोधी बातों की हूबहू पुनरावृत्ति के अलावा और कुछ नहीं है ।

गुजरात की स्थिति आज तक शांत नहीं हुई है । हमारे गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यंमंत्री की पीठ थपथपाते हुए कहा था कि उन्होंने 72 घंटे के अंदर दंगों पर काबू पा लिया । उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि गुजरात में अभी जो हो रहा है ...(**व्यवधान**)... वही तो मैं कर रही हूं....(**व्यवधान**)....जेराक्स कापी है ...(**व्यवधान** ...इतना संदेह मत करिए । इन्हें इस बात का जवाब देना होगा उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि गुजरात में अभी जो हो रहा है वह क्या है । वे दंगे, नहीं तो क्या सांप्रदायिक सदभाव का प्रमाण है ? ऐसे समय में आरएसएस की भड़काऊ बातें और भी खतरनाक हो जाती है । इन्हीं बातों से उत्तेजित होकर पिछले दिनों विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने उड़ीसा की विधान सभा पर हमला बोल दिया, क्योंकि आर. एस. एस. ही संघ परिवार का मुखिया है, जिसके सदस्यों में विहिप, बजंरग दल की ही तरह भाजपा भी शमिल है । इन तमाम स्थितियों को देखते हुए यह जरूरी है कि हम इस सदन में आर. एस. एस. के इन प्रस्तावों की तीव्र निंदा करें, इन्हें राष्ट्रहित के विरूद्व एक साजिश घोषित करें ओर सरकार से हमारी यह मांग है कि उसमें भारत के धर्म निरपेक्ष संविधान के प्रति यदि जरा भी निष्ठा शेष रह गई है तो आर. एस. एस. और विहिप की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की ठोस कार्यवाही करे । यह सिर्फ मौखिक जमा-खर्ची नहीं हो बल्कि भारत के लोगों को यह साफ दिखाई देना चाहिए कि भारत सरकार संविधान के विरुध्द काम करने वाले लोगों के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरतेगी । धन्यवाद ।

...(Interruptions)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): It is a prepared text. *...(Interruptions)...*

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI M. VENKAIAH NAIDU) : Sir, that is not there in the text. She wants to create communal tension in the country. She did that. And they are supporting her!

...(Interruptions)...

SHRI JIBON ROY: They are playing into the hands of the RSS and..*(Interruptions)...* Let the RSS be banned. *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): No. Please take your seat. I had allowed her. But you are speaking without my permission and you are adding unnecessary things which were not there. If you go on speaking, the entire thing will go off the record. *...(Interruptions)...We* will now take up the Statutory Resolution.

श्री बालकवि बैरागी : प्रस्ताव पास होना चाहिए **....(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (**श्री अधिक शिरोडकर**) : कौन सा प्रस्ताव **...(व्यवधान)**....There is no question of that. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)..Mo.* We will now take up the legislative business. If anybody disturbs it, I will see to it that it goes off the record.

DR. RAMENDRA KUMAR YADAV RAVI: Sir, you have honoured this House with a great decision.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Sir, you are reminding me of the first Chief Justice of India, Chaglaji. One lawyer had told him, "Sir, you have given one good judgment", and he remarked, "In my life, only one good judgment?"; the lawyer said, "No, no; this judgement suits me". So, it suits you.

We will now take up the Statutory Resolution. Mr. Kapil Sibal.

STATUTORY RESOLUTION

SEEKING DISAPPROVALS OF THE PREVENTION OF TERRORISM (SECOND) ORDINANCE, 2001 AND THE PREVENTION OF TERRORISM BILL, 2002.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Sir, I move:-

"That this House disapproves the Prevention of Terrorism (Second) Ordinance, 2001 (No.12 of 2001) promulgated by the President on the 30th December, 2001".

Mr. Vice-Chairman, this House is aware of the fact that as far back as October 15, 2001, the first Ordinance in respect of prevention of terrorism was promulgated. This House is also aware of the fact that this was promulgated immediately after the events of September 11, 2001, when everybody knew that the House was to assemble on the I9th of November, 2001. The Government was aware of the fact that the House was to meet; and, on a sensitive matter like this. I would have thought that the